बिजली कर्मचारी और इंजीनियर की राष्ट्रीय समन्वय समिति (NCCOEEE)
बी.टी.रानादिवे भवन, 13-ए, राउज एवेन्यू, नई दिल्ली -110 002,
Tel fax.011- 23219670 €-mail: eefederation@gmail.com

13 जुलाई 2021

श्री आर के सिंह
माननीय मंत्री जी,
बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा
भारत सरकार
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली- 110 001

विषय - **प्रस्तावित बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021 - भारत की गरीब जनता और ग्रामीण नागरिक पर बिजली के अधिकारों पर अंकुश लगाने के सन्दर्भ में**

आदरणीय महोदय ,

बिजली कर्मचारी और इंजीनियर की राष्ट्रीय समन्वय समिति (NCCOEEE), लगभग सभी प्रमुख संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापक आधारित मंच की ओर से बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों और इंजीनियरों ने सभी प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर अपने विचार सामने रखे जबसे भारत सरकार ने ड्राफ्ट बिजली (संशोधन) विधेयक, 2014 के माध्यम से विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन का प्रयास किया है|

हमारे मतभेदों को कम करने के लिए पूर्व मंत्री से हमसे चर्चा करते थे| हम स्वीकार करते हैं कि इन चर्चा में कर्मचारियों तथा इंजिनीअरों द्वारा रखे गए कई सुझाव माने गए। मसौदा इस कोविड महामारी के दौरान बिजली (संशोधन) विधेयक, 2020 को सार्वजनिक कार्य क्षेत्र में रखने के बाद से सरकार ने बातचीत करना बिलकुल बंद कर दिया है। इसके विपरीत पूर्व मंत्री द्वारा सहमति प्राप्त बिंदुओं को नए विधेयक ने रद्द कर दिया है। गरीब और ग्रामीण जनता के साथ साथ कृषि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए निवेदन को खारिज कर दिया गया है। हमारे अध्ययन से पता चलता है कि विधेयक का उद्देश्य लालची व्यापारिक समुदाय के दायरे को बढ़ाना हैं, जबकि सार्वजनिक स्वामित्व वाली बिजली उपयोगिताओं को राजस्व संभावित शहरी से बाहर कर दिया जाएगा और औद्योगिक क्षेत्र में उच्च उपभोक्ता घनत्व वाले क्षेत्र में एक तरफा व्यवसाय की गुंजाइश होगी।

12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बिजली (संशोधन) के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। आक्रोशित किसान तीन कृषि अधिनियम क़ानूनों के साथ साथ बिजली (संशोधन) विधेयक, 2020 (अब 2021) को रद्द करने दबाब सरकार पर डाल रहे हैं । हमने देखा है कि

हितधारक विचार-विमर्शों में प्रत्येक राज्य सरकार और कर्मचारियों तथा इंजीनियरों को अपने विचार रखने के लिए केवल कुछ मिनटों का समय दिया गया ।

हमें खेद है कि आपने संसद के मानसून सत्र में इस बिल को सदन में रखने और उसे पारित करने की घोषणा की है । क्योंकि सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है, NCCOEEE ने पूरे देश में इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का संकल्प लिया है ।

हम समझते हैं कि आमना-सामना समाधान का मार्ग नहीं हो सकता है या वैचारिक अंतर को हल नहीं कर सकता है इसलिए, हम आपसे सौहार्दपूर्ण चर्चा का एक मंच बनाने का अनुरोध करते हैं। हम विनती करते है 27 जुलाई या किसी भी दिन, जब हमारी मुख्य समिति (कोर कमेटी) के सदस्य दिल्ली में उपलब्ध हों, आपके कार्यालय में हमारे राष्ट्रीय नेताओं के साथ बातचीत लिए समय दें।

सधन्यवाद !

भवदीय

AIPEF AIPF AIFEE AIFOPDE

EEFI INEWF TNEBPWU